

# बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार।

## उद्घोषणा

### (नियम 4 का उप नियम (1))

कटिहार जिला के मनिहारी अंचल के शेष 03 (तीन) राजस्व ग्रामों के भू-धारियों/लोक एवं सरकारी जमीन के अभिरक्षक सहित भूमि में हित रखने वाले सभी व्यक्तियों को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रतिनियुक्त अथवा प्राधिकृत कोई व्यक्ति ग्राम की सीमा एवं इसके भू-खण्डों के सीमांकन या पहचान के लिये भू-खण्ड में प्रवेश कर सकते हैं। आपको निदेशित किया जाता है कि सर्वेक्षण के उद्देश्य से भू-खण्डों की पैमाईश/ जाँच-पड़ताल करने तथा वृक्षों, जंगलों, खड़ी फसलों या ऐसी अन्य बाधाओं, जैसा भी आवश्यक हो, को हटाने अथवा काटने में उन्हें सहयोग करें एवं उन्हें उनके कर्तव्यों के निर्वहन में किसी प्रकार का बाधा/अड़चन उत्पन्न न करें।

आपको यह भी निदेश दिया जाता है कि अपने भू-खण्डों की सीमाओं को भू-खण्डों के सभी मोड़ पर मिट्टी का स्तंभ देकर उसे सीमांकित कर लें।

समाहर्ता

—सह—

बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
कटिहार।

# बन्दोबस्त कार्यालय, कटिहार।

मनिहारी अंचल अन्तर्गत उद्घोषणा हेतु शेष राजस्व ग्राम की सूची।

क्र०	अंचल का नाम	राजस्व ग्राम का नाम	थाना नं०	चादर नं०
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>
1	मनिहारी	मनिहारी	303	6
2		भगवानपुर	334 / 3	2
3		बैजनाथपुर	319	10
			कुल चादर	18

  
11/04/18

समाहर्ता  
—सह—

बन्दोबस्त पदाधिकारी,  
कटिहार।